तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4/5/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादनी अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादनी को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीए बाबत् नाम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया है। वादनी ने ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 97 पर स्थित ख0नं0 73 रकबा 1.06 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम हंसा बाई के स्थान पर अनुसूया बाई अथवा अनुसूया बाई उर्फ हंसा बाई दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें का निवेदन किया। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया तथा जवाब सरकार पर प्रकरण के संदर्भ में विचारण किया। वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् ग्राम पंचायत झाडगावं द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र, छायाप्रति आधार कार्ड आदि दस्तावेजात् के आधार पर हंसा बाई एवं अनुसूया बाई एक ही महिला के नाम है, उक्त बाबत् सरंपच द्वारा भी तस्दीक किया गया है। अतः वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर वाद वादनी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। परिणामतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 97 पर स्थित ख0नं0 73 रकबा 1.06 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ~~नाम~~ नाम हंसा बाई के स्थान पर अनुसूया बाई उर्फ हंसा बाई दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

हंसा बाई उर्फ अनुसूया बाई पुत्री छोट्या पत्नी द्वारकालाल जाति मेघवाल निवासी मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–26 / 18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 97 पर स्थित ख0नं0 73 रकबा 1.06 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम नाम हंसा बाई के स्थान पर अनुसूया बाई उर्फ हंसा बाई दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 04.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner